न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2025 जीसीएमएस वाद संख्याः–2025/186

प्रार्थीगण **बनाम** अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण:

1. मंछाराम पुत्र श्री भीमा जाति रावणा राजपुत निवासी मेड़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।

अप्रार्थीगण:

1. प्रतापा पुत्र रुगनाथ।
2. तगाराम पुत्र वनाराम।
3. रायचंद पुत्र भीमाराम जातियान रावणा राजपुत।
4. कैलाश कुमार पुत्र प्रतापाराम।
5. गिरधारीराम पुत्र प्रतापाराम जातियान– कुम्हार, निवासीगण मेड़ाजागीर, तहसील– सांचौर, जिला–जालोर।
6. रमेश कुमार पुत्र पूनमाराम।
7. सालुराम पुत्र मोटीया उर्फ मोटाराम जातियान तीरगर।
8. कानजीराम पुत्र पांचाराम जाति– देवासी, निवासी – मेडाजागीर, तहसील– सांचौर।
9. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

प्रार्थी अधिवक्ता सुश्री संतोष राव, श्री अभिषेक दवे, श्री नरेश कुमार वैष्णव।

अप्रार्थी संख्या 4,5 की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहिम षाह, श्री रमेश प्रजापत, श्री नरेन्द्र पारीक।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 6 से 8 एकपक्षीय

अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–06.02.2026

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है सरहद मौजा मेड़ाजागीर, पटवार हल्का नानोल में प्रार्थी की खातेदारी व मालिकाना हक की भूमि खसरा नंबर 710, रकबा 3.12 हैक्टेयर, जमाबंदी खाता संख्या 157 में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का वैध, शांतिपूर्ण व पुराना कब्जा चला आ रहा है तथा गिरदावरी भी प्रार्थी के नाम दर्ज है। पड़ोसी खातेदारगण, विशेषकर प्रतापाराम पुत्र रूगनाथ व अन्य, प्रार्थी की भूमि की पूर्वी माठ को तोड़कर अपने खसरा नंबर 712, 713 आदि में मिलाने का प्रयास करते

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

हैं। प्रार्थी के विरोध करने पर वे झगड़ा–फसाद पर उतारू हो जाते हैं तथा बेदखल करने की धमकी देते हैं। दिनांक 03.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा पैमाइश कर सीमांकन किया गया, परंतु इसके बावजूद अप्रार्थीगण बार–बार माठ तोड़कर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। स्थायी समाधान हेतु राजस्व नक्शे के अनुसार खेत की चारों ओर से पत्थर गढ़ी (नेखमबंदी) कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थी नियमानुसार समस्त खर्च वहन करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 710 की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्थायी नेखमबंदी (पत्थर गढ़ी) कराने तथा शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 6 से 8 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4, 5 की ओर अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी लंबे समय से उक्त भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग करता आ रहा है। पड़ोसी खातेदार बार–बार सीमा विवाद उत्पन्न कर खेत की माठ तोड़ते हैं तथा भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करते हैं। दिनांक 03.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा पैमाइश कर सीमा चिन्ह लगाए गए, परंतु विपक्षीगण पुनः विवाद कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि राजस्व नक्शे अनुसार खसरा नं. 710 की चारों ओर से स्थायी नेखमबंदी (पत्थर गढ़ी) करवाई जाए तथा शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाए। प्रार्थी नियमानुसार समस्त खर्च वहन करने को तैयार है। कृपया स्थायी नेखमबंदी हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें।

4. अप्रार्थी संख्या 4, 5 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कानूनी त्रुटियों के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, बलहीन व अप्रमाणित होने से सादर खारिज किया जावे।

5. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पर तहसीलदार सांचौर से सीमांकन आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.06.2025 को प्रार्थी की आराजी मौजा मेड़ा जागीर, पटवार हल्का– नानोल, में खसरा नंबर 710 आराजी का मौका तस्दीक किया गया, मौका फर्द अनुसार जरीब चलाकर सीमाज्ञान कर निशानात करवाये गए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि दिनांक 03.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा पैमाइश कर सीमा चिन्ह लगाए गए, परंतु विपक्षीगण पुनः विवाद कर रहे हैं। अतः राजस्व नक्शे अनुसार खसरा नं. 710 की चारों ओर से स्थायी नेखमबंदी (पत्थर गढ़ी) करवाई जाए तथा शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाए। अतः सरहद मौजा मेड़ा जागीर, पटवार हल्का– नानोल, में खसरा नंबर 710 रकबा 3.12 हैक्टेयर आराजी वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अनवान– मंछाराम बनाम प्रतापाराम
मुकदमा नम्बर– 03 / 2025
निर्णय तारीख– 06.02.2026

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा मेड़ा जागीर, पटवार हल्का–नानोल, में खसरा नंबर 710 रकबा 3.12 हैक्टेयर की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 30 दिवस में पालना प्रस्तुत करें एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार सांचौर को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)
सांचौर, जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)
सांचौर, जिला जालोर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर